Schedule XLII-High Court (J) 19[old (M)164]

<u>अनुमन्डल न्यायालय–असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) बनमनखी, पूर्णियाँ, बिहार</u>

समक्ष– सतीश मणि त्रिपाठी (बिहार न्यायिक सेवा)

स्वत्व वाद सं.– 312/11 सी.आई.एस.क्र.– 312/11

सुरेन्द्र जयसवाल द्वारा विधिक प्रतिनिधि एवं अन्य बनाम निर्मला देवी एवं अन्य

Order date	Order with signature of the Court	Office action taken
05/05/25	वादी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता की हाजिरी है। प्रतिवादी की कोई पैरवी नहीं है। यह वाद वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन दिनांक 17.04.25 पर प्रत्युत्तर एवं सुनवाई आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है। उक्त आवेदन को संचालित कर वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्पित किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 1 निर्मला देवी की मृत्यु हो गई है परंतु प्रतिवादी संख्या 1 के विधिक वारिसान का नाम वादी को ज्ञात नहीं है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी को निर्देशित किया जाए कि वह प्रतिवादी संख्या 1 के विधिक वारिसान का विवरण प्रदान करें। प्रतिवादीगण की ओर से कोई पैरवी नहीं है। अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रतिवादीगण की ओर से विगत कई वर्षों से इस वाद में पैरवी नहीं की जा रही है न ही प्रतिवादीगण के द्वारा वादी के इस आवेदन का प्रत्युत्तर दिया गया है न ही प्रतिवादीगण की ओर से सुनवाई हेतु कोई उपस्थिति हुए। वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि इस वाद के प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु हो गई है। जिनके विधिक वारिसान की जानकारी वादी को नहीं है। जिस कारण से उनके विधिक वारिसान को वादी को पक्षकार बनाये जाने में असुविधा हो रही है। अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रतिवादीगण विगत कई वर्षों से इस वाद में सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हो रहे हैं। अतः आदेश 22 नियम 4(4) दीवानी प्रक्रिया संहिता में वर्णित प्रावधान के आलोक में वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के विधिक वारिसान को वाद में प्रतिस्थापित किये जाने से छुट प्रदान कर वादी के आवेदन को स्वीकृत कर वाद–पत्र से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम विलोपित करने की अनुमति प्रदान की जाती है। चूंकि प्रतिवादी विगत कई तिथियों से अनुपस्थित है। अतः प्रतिवादी साक्ष्य बंद किया जाता है। वाद आगामी दिनांक 20.05.25 प्रतिवादी बहस हेतु नियत। हस्ताक्षर अ.सै.न्यायाधीश वरीय कोटि बनमनखी, पूर्णियाँ	